पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों का अनुपालन संबंधी छमाही प्रगति रिपोर्ट
(अप्रैल-2022 से सितंबर-2022)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | परियोजना का नाम | रंगित-IV जल-विद्युत परियोजना (3X40 मेगावाट), सिक्किम |
| 2 | परियोजना की किस्म | जल-विद्युत परियोजना |
| 3 | स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या एवं तारीख<br>क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति<br><br>ख) वन संबंधी स्वीकृति | <br><br>सं.जे.12011/11/2007-आईए-I, दिनांक -16/05/2007<br><br>सं. 3-एसकेसी072/2007-एसएचआई/2419-21, दिनांक 26/12/2007 एवं<br>सं. 3-एसकेसी072/2007-एसएचआई/2861-62 दिनांक 9 जनवरी 2012 (अतिरिक्त भूमि) |
| 4 | स्थान<br>क) जिला<br>ख) राज्य<br>ग) अक्षांश<br>घ) देशांतर | <br>दक्षिण एवं पश्चिम<br>सिक्किम<br>$27^0$ 13′ 10′′ उ0<br>$88^0$ 13′ 10′′ पू0 |
| 5 | पत्र-व्यवहार का पता<br>क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित)<br><br><br><br>ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड एवं टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित) | <br>समूह महाप्रबंधक (सि)<br>जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड<br>रंगित-IV जल-विद्युत परियोजना ,<br>सिक्किम-737121<br>ई मेल : rangit4@nhpc.nic.in<br><br>कार्यपालक निदेशक<br>पर्यावरण व विविधता प्रबंधन विभाग<br>एन.एच.पी.सी. लिमिटेड,<br>सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003<br>टेलीफोन: 0129-2278014<br>ई मेल : envdivmgn-co@nhpc.nic.in |
| 6 | पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण | अनुलग्नक - I के अनुसार |
| 7 | परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि विवरण)<br>क) वन भूमि | <br><br>क) (1)सतह<br>i) भूमि : 8.4658 हैक्टेयर<br>ii) सड़क : 1.4280 हैक्टेयर<br>iii) खनन क्षेत्र : 0.2080 हैक्टेयर<br>iv)जलमग्न क्षेत्र : 11.3740 हैक्टेयर<br><br>(2) भूमिगत भूमि : 3.2765 हेक्टेयर |

| | | |
|---|---|---|
| | | (3) अतिरिक्त वन भूमि : 0.200 हेक्टेयर |
| | ख) गैर-वन भूमि | ख) गैर-वन भूमि : 21.2335 हैक्टेयर |
| 8 | परियोजना प्रभावित जनसंख्या का विवरण | परियोजना प्रभावित परिवार : 42<br>ग्रामीण परिवारों की संख्या :42<br>शहरी परिवारों की संख्या : शून्य |
| 9 | वित्तीय ब्यौरा<br>क) मूल रूप से नियोजित परियोजना लागत | (क) ₹ 938.29 करोड़ आईडीसी तथा एफसी सहित (अक्टूबर 2019 पीएल) एवं मूल आवंटन की बिड राशि ₹ 165 करोड़ |
| | ख) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए नियतन | (ख) मूल आवंटन ₹ 10.525 करोड़ था जिसे संशोधित कर ₹ 11.62 करोड़ कर दिया गया। |
| | ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्त विक खर्च | (ग) ₹ 7.58 करोड़, अनुलग्नक-I के अनुसार |
| 10 | वन भूमि की आवश्यकताएं<br>क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति | (i)एमओईएफ & सीसी के पत्र सं. 3-एसकेसी 072/2007-एसएचआई/2410-21, दिनांक 26 दिसंबर 2007 से 24.7523 हेक्टेयर वन भूमि की डायवर्जन को मंजूरी तथा<br><br>(ii)पत्र सं. 3 एसकेसी072/2007-एसएचआई/2861-62 दिनांक 9 जनवरी 2012 के माध्यम से 0.2 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी है। |
| | ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई की स्थिति | डेटा उपलब्ध नहीं है। |
| 11 | निर्माण की स्थिति<br>क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और/अथवा नियोजित) | 01 जुलाई, 2008 को जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माण शुरू किया गया ।<br><br>परियोजना को फिर से शुरू करने की तिथि: 30.03.2021 को जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा अर्थात भारत सरकार द्वारा निवेश की अनुमोदन के उपरांत । |
| | ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा नियोजित) | मई 2024 (नियोजित), (अर्थात एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कार्यभार संभालने के 38 महीने बाद) |
| 12 | विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी तक आरम्भ नहीं की गई है | परियोजना जुलाई 2008 में जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि, वित्तीय संकट के कारण परियोजना का निर्माण 2012 से अटका हुआ था। इसके बाद कॉर्पोरेट लेनदारों ने एनसीएलटी के माध्यम से सीआईआरपी |

| | | |
|---|---|---|
| | | का आह्वान किया। माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा संकल्प योजना के अनुमोदन के बाद, एनएचपीसी लिमिटेड ने जेपीसीएल को 31.03.2021 को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में अधिग्रहित कर लिया है। अब, रंगित-IV जल विद्युत परियोजना का शेष निर्माण कार्य जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा संचालित की जा रही है। |
| 13 | स्थल के दौरों का ब्यौरा:<br>क) मानीटरिंग समिति द्वारा | अपर निदेशक (आईए), के पत्र दिनांक 14.01.2009 द्वारा एमओईएफ, नई दिल्ली द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया गया तथा निगरानी समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं। पिछली बैठक 30 जनवरी 2013 को आयोजित हुई थी। परियोजना का निर्माण कार्य स्थगित होने के कारण आगे की निगरानी समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।<br><br>एक नई बहुविषयक निगरानी समिति का गठन एमओईएफ़&सीसी के पत्र सं. फा.सं.जे-12011/11/2007-आईए.आई(आर) दिनांक 23.09.2022 द्वारा किया गया है। |
| | ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा | दौरा की संख्या: 08 बार<br>(पिछला दौरा 30.01.2013 को आयोजित) |
| 14 | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट | शर्तों के अनुपालन की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी अनुलग्नक-II में उल्लिखित है। |

**नोट**: रंगीत-IV परियोजना का ईसी पत्र दिनांक 16.5.2007 मैसर्स जेपीसीएल (पिछला परियोजना प्रस्तावक) को जारी किया गया था और इससे संबंधित छह मासिक रिपोर्ट का अंतिम रिपोर्ट मैसर्स जेपीसीएल (पिछला परियोजना प्रस्तावक) के पत्र : JT:ADMN:2014 दिनांक 12.01.2015 द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
एनएचपीसी ने 30.3.2021 को मैसर्स जेपीसीएल का अधिग्रहण किया एवं एमओईएफएंडसीसी के पत्र दिनांक 23.02.2022 के के अनुसार ईसी की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। तदनुसार, वर्तमान छह मासिक रिपोर्ट पहले की छह मासिक रिपोर्ट (दिनांक 12.01.2015) के आधार पर तैयार की गई है।

**अनुलग्नक – I**

रंगित-IV जल-विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर किए गए व्यय का विवरण

| क्र. सं. | विवरण | अनुमानित लागत (₹ लाख) | कुल व्यय (रुपये में, 30.03.2021 तक, (एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण से पहले) | व्यय (रुपये में) (एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के बाद) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रमिक शिविरों में स्वच्छता सुविधाएं | 10.0 | 4,94,343.00 | ___ |
| 2 | ठोस अपशिष्ट संग्रह एवं निपटान प्रणाली | 29.9 | 8,08,572.00 | ___ |
| 3 | सड़कों के निर्माण के कारण प्रभावों का प्रबंधन | 142.9 | 66,47,365.00 | ___ |
| 4 | खनन स्थलों का जीर्णोद्धार | 16.1 | --- | ___ |
| 5 | खनन स्थलों के निर्माण स्थलों का जीर्णोद्धार एवं भूनिर्माण | 3.0 | 19,000.00 | ___ |
| 6 | हरित पट्टी विकास | 3.1 | 5,40,732.00 | ___ |
| 7 | प्रतिपूरक वनरोपण | 52.8 | 67,57,337.00 | ___ |
| 8 | सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली | 105.1 | 21,88,804.00 | ___ |
| 9 | निर्माण स्थलों पर सेटलिंग टैंक का निर्माण | 5.0 | 4,61,725.00 | ___ |
| 10 | मत्स्य पालन का निर्वाह | 75.0 | ----- | ___ |
| 11 | जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना | 346.59 | 2,00,00,000 ( वन,पर्यावरण एवं वन्य जीव प्रबंधन विभाग, राज्य सरकार, सिक्किम को जमा) | ___ |
| 12 | जलाशय रिम उपचार योजना | 41.0 | ----- | ___ |
| 13 | वन संरक्षण योजना | 52.2 | ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है | ___ |
| 14 | वन्यजीव संरक्षण योजना | | एमओईएफ के पत्र सं. 3-एसकेसी 072/2007-एसएचआई/2419 दिनांक 26 दिसंबर 2007 (बिंदु-v) के अनुसार प्रस्तावित विशेष वन्यजीव संरक्षण योजना निरर्थक प्रतीत होती है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। | ___ |
| 15 | पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना | 50.0 | 43,99,000.00 | ___ |
| 16 | मलबा प्रबंधन योजना | 142.5 | 3,17,90,471.00 | ___ |
| 17 | उपकरणों की खरीद | 7.5 | 1,83,928.00 | ___ |
| 18 | ओ एंड एम लागत | 53.2 | 4 ----- | ___ |
| 19 | निर्माण चरण के दौरान पर्यावरण निगरानी | 26.5 | 15,12,901.00 | 18,00,000.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति का नवीनीकरण w.e.f. 2014-15 से 2022-23 | | ----- | 45,45,000.00 |
| | कुल योग (₹) | 1162.39 | 7,58,04,178.00 | 63,45,000.00 |
| | | महायोग (₹) | **8,21,49,178.00** | |

**अनुलग्नक –II**

भाग-अ: विशिष्ट शर्तें:

| क्र. सं. | रंगित-IV परियोजना की ईसी पत्र दिनांक 16.05.2007 में निर्धारित शर्तें | अनुपालन की स्थिति (सितंबर 2022 तक) |
|---|---|---|
| i | जलग्रहण क्षेत्र उपचार (केट) योजना का प्रस्ताव तीन साल में पूरा किया जाना है। | • ₹ 02 करोड़ वन पर्यावरण एवं वन्यजीव प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार को पिछले परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा किए गए।<br>• वर्ष 2007-08 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत मूल जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना हेतु ₹ 206.4 लाख का प्रावधान था। जो इंजीनियरिंग तथा बायोइंजीनियरिंग कार्यों के कार्यान्वयन के लिए चार साल एवं रखरखाव लागत हेतु तीन साल का अनुमानित प्रावधान निर्धारित किया गया था।<br>• राज्य सरकार, सिक्किम ने पत्र संख्या 1225/GOS/FEWMD दिनांक 28.03.12 के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना की राशि को संशोधित श्रम मजदूरी तथा अन्य निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि के अनुसार संशोधित कर रु. 346.59 लाख कर दिया ।<br>• जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्य भू-उपयोग एवं पर्यावरण प्रभाग, दक्षिण सिक्किम एवं पश्चिम सिक्किम द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। नवीनतम प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रयास जारी है। |
| ii | यदि कोई वन्यजीव और/या राष्ट्रीय उद्यान परियोजना स्थल के 10 किमी के दायरे में मौजूद है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। | परियोजना स्थल के 10 किमी के दायरे में कोई वन्यजीव या राष्ट्रीय उद्यान मौजूद नहीं है, इसलिए एमओईएफ&सीसी के पत्र दिनांक 26.12.2007 (बिंदु-v, वन मंजूरी) के संदर्भ में भारतीय वन्यजीव बोर्ड (आईबीडब्ल्यूएल) से कोई मंजूरी नहीं ली गई है। |

| | | |
|---|---|---|
| iii | एनपीआरआर-2003 के आर एंड आर पैकेज के अनुसार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए। | सिक्किम सरकार द्वारा आर एंड आर पैकेज को मंजूरी दे दी गई है और संबंधित जिला कलेक्टरों (पश्चिम और दक्षिण सिक्किम) को पूर्ववर्ती जेपीसीएल द्वारा सभी लाभार्थियों को संवितरण के लिए पूरा भुगतान किया गया है। |
| iv | आर एंड आर के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और एक महिला लाभार्थी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने चाहिए। | सिक्किम सरकार द्वारा आर एंड आर पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया था और सभी लाभार्थियों को पूरा भुगतान किया जा चुका है। |
| v | उच्च ध्वनि स्तर उत्पन्न करने वाले सभी उपकरणों को पूरी तरह से शांत किया जाना है (शोर में कमी के उपाय) । | सभी संभावित ध्वनि उत्पन्न करने वाले मशीनों का नियमित रूप से रख-रखाव किया जा रहा है एवं ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी उपकरणों का समय पर रख-रखाव करें जिससे उच्च शोर उत्पन्न होने की संभावना ना हो। साइटों पर काम कर रहे सभी डीजल जेनरेटर (डीजी) से उत्पन्न होने वाले शोर को नियंत्रित करने के लिए एक ध्वनिक संलग्नक है जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिक्किम के मानदंडों को पूरा करता है। |
| vi | मलबा का एकत्रीकरण व संकलन मलबा निपटन स्थलों पर किया जाना चाहिए तथा डंप साइट बाढ़ के उच्च स्तर (अच एफ अल) से ऊपर होना चाहिए। डम्पिंग स्थलों पर उपयुक्त रिटेनिंग दीवारों का निर्माण किया जाना है ताकि ऊर्ध्वाधर ढलान पर अधिकतम स्थान का उपयोग कर मलबा को रखा जा सके। ढीले मलबे को परत दर-परत संकुचित किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतू के दौरान बाढ़ के पानी से डम्पिंग स्थलों की रक्षा के लिए बोल्डर क्रेट तथा चिनाई की दीवार विकसित किया जाएगा। | वन एवं निजी दोनों भूमि में स्थित सभी डंपिंग क्षेत्र राज्य सरकार,सिक्किम द्वारा अनुमोदित हैं। डम्पिंग स्थलों पर विस्तृत मानक इंजीनियरिंग विनिर्देशों माध्यम से गेबियन दीवारों का निर्माण किया गया है। डम्पिंग स्थलों की क्षेत्र के अनुसार मलबा के निस्तारण हेतु सख्ती से कार्य किया जा रहा है। वर्षा ऋतू के दौरान बाढ़ के पानी से मलबा क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी डम्पिंग स्थलों पर निर्मित क्रेट की दीवारें बाढ़ के उच्च स्तर से काफी ऊपर हैं।<br>डम्पिंग स्थल संख्या 1, 6 और 7 पर बेंच निर्माण को तत्कालीन जेपीसीएल (पिछला परियोजना प्रस्तावक) द्वारा पूरा किया गया है। आवश्यक वृक्षारोपण कार्य के लिए उपजाऊ मिट्टी बिछाने के लिए एक उपयुक्त तल का निर्माण किया गया है। |
| vii | बांध प्रवासी मछली प्रजातियों के मुक्त आवागमन में बाधा के रूप में कार्य करेगा। भंडारण के लिए एक हैचरी विकसित की जानी चाहिए, जैसा कि पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्रस्तावित है। | मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु जेपीसीएल द्वारा आवश्यक परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान संस्थान, भीमताल, उत्तराखंड के साथ परामर्श किया गया था। उनकी ओर से प्रतिउत्तर का इंतजार है। इसके अलावा, मत्स्य विभाग, सिक्किम सरकार को भी उनकी ओर से आवश्यक सलाह के लिए संपर्क किया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| भाग-ब: सामान्य शर्तें : | | |
| i | परियोजना के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए पर्याप्त नि:शुल्क ईंधन की व्यवस्था की जाए ताकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके। | वर्तमान में ठेकेदार द्वारा अपने मजदूरों को खाने के किए मेस की सुविधा प्रदान की जा रही है। |
| ii | ईंधन (केरोसिन/लकड़ी/एलपीजी) उपलब्ध कराने के लिए साइट पर ईंधन भंडार खोला जा सकता है। मजदूरों को चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ मनोरंजन की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। | ठेकेदारों द्वारा जरूरत के अनुसार स्थानीय बाजार से ईंधन (एलपीजी) खरीदा जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को चिकित्सा सुविधा व मनोरंजन की सुविधा आदि उपलब्ध कराई जा रही है। ठेकेदार द्वारा मजदूरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। |
| iii | निर्माण कार्यों में लगाए जाने वाले सभी मजदूरों की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए तथा कार्य-अनुज्ञा जारी करने से पहले उनका पर्याप्त इलाज किया जाना चाहिए। | मजदूरों को काम में लगाने से पहले उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाती है। मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जेपीसीएल/ठेकेदारों द्वारा कोविड-19 के लिए मजदूरों का टीकाकरण किया गया है। |
| iv | निर्माण क्षेत्र तथा डम्पिंग स्थलों पर उत्खनित सामग्री के निपटान समतल करके, गड्ढों को भरकर, भूनिर्माण कार्य आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपयुक्त वृक्षारोपण के साथ क्षेत्र का उचित उपचार किया जाना चाहिए। | निर्दिष्ट डम्पिंग स्थलों में मलबा निपटान के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपाय किए जाते हैं। डम्पिंग स्थलों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त रिटेनिंग स्ट्रक्चर जैसे क्रेट वॉल, आरआरएम दीवार आदि लगाए गए हैं। डंपिंग के बाद क्षेत्रों को समतल किया जा रहा है। चूंकि कार्य हाल ही में शुरू हुआ है, इसलिए साइट की आवश्यकता के अनुसार नालों और नदी खंडों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय जैसे क्रेट दीवार और कंक्रीट प्लग प्रदान किए जाएंगे। कार्यों की प्रगति के साथ वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार सभी एहतियाती उपाय किए जाएंगे। |
| v | उपरोक्त सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए। | उपरोक्त सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। |
| vi | सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी हेतु मंत्रालय के परामर्श से एक बहु-विषयक निगरानी समिति का गठन पारिस्थितिकीविद्, पर्यावरण वैज्ञानिकों, संरक्षणवादियों और अनुभवी प्रशासकों आदि के साथ किया जाना चाहिए। | दिनांक 14.01.2009 के पत्र द्वारा अतिरिक्त निदेशक (आईए), एमओईएफ, नई दिल्ली द्वारा एक निगरानी समिति का गठन कर चार बैठकें आयोजित की गईं हैं। हालांकि, परियोजना के बाधित होने के कारण आगे की निगरानी समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है।<br><br>एक नई बहुविषयक निगरानी समिति का गठन पत्र सं. फा.सं.जे-12011/11/2007-आईए.आई(आर) दिनांक 23.09.2022 द्वारा किया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| vii | छह मासिक निगरानी रिपोर्ट मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग को समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए। | पिछले परियोजना प्रस्तावक (मैसर्स जेपीसीएल) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पत्र संख्या JT:ADMN:2014 दिनांक12.01.2015 के माध्यम से शिलांग प्रेषित की थी।<br><br>एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 30.03.2021 को परियोजना का अधिग्रहण करने के बाद एवं 23.02.2022 को एमओईएफवसीसी के पत्र के अनुसरण में, पिछली छमाही रिपोर्ट पत्र संख्या NH/Env&DM/219/69 दिनांक 31.05.2022 के साथ संलग्नक के रूप में आई आर ओ, कोलकाता एवं एमओईएफ& सीसी नई दिल्ली के ई मेल क्रमशः ईमेल आईडी: yogendra78@nic.in एवं iro.kolkatamefcc@gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। |